(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR RAM KIRPAL SINHA) (a) to (c) The Central provident Fund Commissioner has reported that this establishment was granted exemption under Section 17(1) of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in June 1963 The Provident Fund accumulations of the employees of the Undertaking as at the end of February 1978 have been invested The contributions due to the Family Pension and the Deposit Linked Insurance Funds and the inspection charges have also been paid

Study Groups for Steel Industry

5810 SHRI AHMED M PATEL Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state

(a) whether the report by the six Working Groups appointed to study the various aspects of the working of the Steel Undertaking have been received by Government,

(b) if so what are the main recommendations made, and

(c) the steps Government propose to take to implement recommendations made therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) (a) Yes, Sir

(b) The summaries of the Reports are given in Annexures I to VI [*Placed in Library. See* No LT—2039]78]

(c) The reports of these Study Groups were formally adopted at a plenary session of the members of the Group on 30th November 1977. In this session, it was decided that Minister would consult a small group of leaders of Central Trade Union Organisations to enable Government to take appropriate decisions on the recommendations and their implementation These consultations are now in progress

बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मन्दिर

5811. श्री बेगाराम चौहान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या स्वाधीनता से पहले पाकिस्तान मे बलूचिस्तान के लशेला जिले मे हिंगोला नदी के किनारे चरण जाति का हिंगलाज माता का मंदिर था और क्या इस देवी के अनुयायी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश (मालवा) को चरण जाति के लोग हैं ,

(ख) क्या लशेला जिला (बलूचिस्तान) मे अब भी हिंगलाज माता का मन्दिर है और यदि हां, तो वह किस स्थिति मे है ,

(ग) क्या यह मंदिर अब भी विद्यमान है क्या इस देवी के चरण पुजारियो का पाकिस्तान को यात्रा करने के लिए कोई पासपोर्ट अथवा वीसा दिया जाएगा , और

(घ) क्या सरकार हिंगलाज माता के चरण अनुयायियो को वैसी ही सुविधाये देगी जैसी कि ननकाना साहिब (पाकिस्तान) की यात्रा करने हेतु दी जाती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुण्डू) (क) और (ख) यह मन्दिर किस स्थान पर है और इसकी वर्तमान दशा कैसी है इसके सम्बन्ध मे स्थिति की सही जानकारी पाकिस्तान सरकार से प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) और (घ) तीर्थ यात्राओं के सम्बन्ध मे भारत-पाकिस्तान के बीच अभी जो

प्रोतोकोल है उसके अन्तर्गत एक दूसरे देश में स्थित कुछ खास खास धर्म स्थानों के लिए दलों में तीर्थयात्रा करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार धर्मस्थानों की सूची का विस्तार करने के लिए पाकिस्तान से कहती रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार को इस प्रकार की तीर्थ यात्राओं को इस सहमत सूची तक ही सीमित रखने के पक्ष में है।

Slashing of Funds for Malanjkhand Copper Deposits

5812. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the funds for the development of copper deposits of Malanjkhand in Madhya Pradesh has been slashed down to Rs. 1 crore against assessed requirement of Rs. 11 crores for 1978-79;

(b) if so, the reasons thereof,

(c) whether Government would consider that by reducing the funds, the socio-economic uplift of the region is likely to be hampered; and

(d) if so, Government's reaction in this regard and steps proposed to provide funds as assessed?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) to (d). The provision of funds made for Malanjkhand in the Plan Budget for 1978-79 is Rs. 1 crore against the assessed requirement for Rs 9 crores. However, the progress of work on this project is not being allowed to suffer on this account and adequate provision of funds will be made from time to time commensurate with the progress of work.

गुजरात राज्य में डाकघर, शाखा तथा उपडाकघर

5813. श्री छीतुभाई गामीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में प्रत्येक जिले में कितने कितने डाकघर, शाखा डाकघर तथा उपडाकघर हैं ;

(ख) वर्ष 1978-79 मे प्रत्येक जिले मे कितने कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का विचार है ; और

(ग) सूरत, बुलसर तथा डांग मे उन स्थानो के नाम क्या हैं जहां डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) से (ग). वांछित सूचना सलग्न अनुबन्ध मे दे दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सख्या एल० टी० 2040/78]

न्यूनतम मजदूरी निर्धारण

5814. श्री हुर गोविन्द वर्मा : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी का निर्धारण करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मजूरी कब तक निर्धारित की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :(क) और (ख). केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समुचित सरकार होने के नाते, अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें अधिसूचित की हैं, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2041/78]